

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 71/2025

दायर दिनांक-11.03.2025

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

- वादी

बनाम

1. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी :- श्री सम्पत सिंह शेखावत

वकील प्रतिवादी :- एकपक्षीय

दावा बाबत दुरुस्ती नक्शा

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 09.12.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वादी की खातेदारी काश्त राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 0.8800 हैक्टर स्थित है जो वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जो वादी के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है उक्त भूमि को आगे वाद-पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 457 के पूर्व दिशा में भूमि खसरा नम्बर 456 रकबा 0.08 हैक्टर गै.मु. आबादी अवस्थित है परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने नक्शे में तरमीम करते समय भूमि खसरा नम्बर 456 की तरमीम खसरा नम्बर 457 की जगह कर दी व खसरा नम्बर 457 की तरमीम खसरा नम्बर 456 की जगह कर दी, जिससे विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 457 की तरमीम राजस्व नक्शा में गलत दर्ज हो गई, जबकी विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 457 की जमाबन्दी व राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी सही दर्ज है लेकिन राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने, नक्शे में खसरा नम्बर 457 की जगह खसरा नम्बर 456 की तरमीम कर दी व खसरा नम्बर 456 की जगह खसरा नम्बर 457 की तरमीम कर दी, जिसका राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को कोई हक अधिकार नहीं था मात्र राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही से राजस्व नक्शा गलत दर्ज हो गया है जो दुरुस्त होने काबिल है जिसके लिये मौजूदा दावा बाबत दुरुस्ती नक्शा का पेश किया जा रहा है।

वादी को उक्त राजस्व नक्शे में गलत तरमीम बाबत पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी वादी ने के.सी. सी. लोन लेने के लिये राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे की नकले निकलवाई तो वादी को उक्त गलत राजस्व नक्शे में तरमीम बाबत जानकारी हुई तो वादी ने राजस्व नक्शा में उपरोक्त शुद्धि करने के लिये दिनांक 20.02.2025 को तहसीलदार महोदय, नवलगढ़ से मिला व नक्शे में शुद्धि हेतु निवेदन किया जिस पर तहसीलदार नवलगढ़ ने वादी से कहा कि हम बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के दुरुस्ती नहीं कर सकते, आप सक्षम न्यायालय से दुरुस्ती के आदेश लेकर आओ तभी हम उक्त दुरुस्ती करेंगे इसलिये श्रीमान् के समक्ष मौजूदा वाद-पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

अतः वाद वादी द्वितीय प्रति में मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :-वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी की खातेदारी काश्तकारी व कब्जे की भूमि हाल खसरा नम्बर 457 का राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 456 के स्थान पर नक्शे की तरमीम कर राजस्व नक्शा दर्ज किये जाने की कृपा करे व आवश्यक दुरुस्ती हेतु तहसीलदार तहसील नवलगढ़ को लिखा जावे।

वादी द्वारा वाद-पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय नही होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।


प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कार्यवाही नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने अपने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2075-78 तथा नकल नक्शा ट्रैस आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है

राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 457 का राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 456 के स्थान पर नक्शे की तरमीम कर राजस्व नक्शा दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 457 का राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 456 के स्थान पर नक्शे की तरमीम कर राजस्व नक्शा दुरुस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार (सहायक) नवलगढ़
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : नक्शा दुरुस्ती

मुकदमा सं०:- 71/2025

(भूपेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार आदि)

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09.12.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 457 का राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 456 के स्थान पर नक्शे की तरमीम कर राजस्व नक्शा दुरुस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.12.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़
मुकाम बईजलास नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

क्रमांक / भू अ / 2025 / 12303

दिनांक 14/11/2025

प्रेषित : - श्रीमान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट महोदय
(फास्ट 33)
नवलगढ

विषय : - उनवानी भूपेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार नवलगढ मे मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में ।

प्रसंग : - श्रीमान के आदेश क्रमांक /रीडर / 2021-25/299 दिनांक 24.09.2025 की पालना में ।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी प्रकरण भूपेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार नवलगढ में तथ्यात्मक रिपोर्ट पटवारी हल्का जाखल से प्राप्त हुई है । जो मूल ही श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है ।

संलग्न : - मूल रिपोर्ट

तहसीलदार(भू.अ.)
नवलगढ

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- जाखल
पटवार हल्का :- जाखल
भू.अभि.नि. :- जाखल
तहसील :- नवलगढ़
जिला :- झुंझुनू

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075-2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 397
खाता संख्या पुराना :- 318

काश्तकार का नाम:-

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जाखल मूर्तहीन,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृपक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
457	0.8800	बारानी 2	0.8800	7.07		
कुल खसरे - 1	0.8800		0.8800	7.0700		


यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 13-Oct-2025



10/11/2025
राज.सरकार



खसरा संख्या : 457 क्षेत्रफल : 0.8800 Hectare खाता संख्या : 397 पुराना खाता संख्या : 318

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी 2 [0.8800, 7.07]

1.) भूपेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जाखल मूर्तहीन

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

सिवा में

क्षीमान तहसीलदार साहब

तह. :- नवलपरा

विषय :- उमधानी पुरखी भूखेती में बनाए तहसीलदार नवलपरा में भूमि
विवाद के सम्बन्ध में ;

प्रस्ताव :- क्षीमान का पत्र क्रमांक (क्र.क्र.) 9844 दिनांक 25/9/2025 के
क्रम में


महोदय जी

उपरोक्त विषयान्वयित विवेदन है कि ग्राम जासल के दूर
खसरा नम्बर 456 रकबा 0.08 है. श्री. प्र. आबादी व खसरा नम्बर
457 रकबा 0.88 है. किल्ला वाराणी 2 दर्ज रिपोर्ट जमा जमा है,
कुल खसरा नम्बर डिजिटल नक्शा सीट में खसरा नं. 456 के
स्थान पर 457 दर्ज है व 457 के स्थान पर 456 दर्ज है।
डिजिटल नक्शा सीट में पूर्व की सीट में कुछ खसरा नं. खसरी दर्ज
थी जो नक्शा डिजिटल करने के दौरान खसरा नं. 456 के स्थान
पर 457 दर्ज हुए है तथा 457 के स्थान पर 456 दर्ज हो गया
है। अतः पूर्व नक्शा सीट के अनुसार डिजिटल नक्शा सीट
में कुछ खसरा नं. दुरुस्त किया जाना उचित है। पूर्व नक्शा
सीट सत्यापन है

विवाद समाप्त पेश है।

संलग्न :- नक्शा सीट

जमा जमा
द्वारा भूमि


30/10/2025
D. P. S.

